राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 523/2025

विनोद गेना **–अपीलार्थी**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए शासन सचिव, पशु चिकित्सा विभाग, जयपुर एवं अन्य।
–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.02.2025
आदेश की दिनांक : 25.02.2025

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री शैलेन्द्र सिंह, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : चेतन राम देवडा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में पशुधन सहायक के पद पर पशु चिकित्सालय, सोमेसर, जोधपुर में पदस्थापित है। अपीलार्थी ने अपने विभाग को एक प्रार्थना पत्र दिनांक 05.01.2025 (अनुलग्नक–4) प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी की पत्नी श्रीमती सुनिता चौधरी वर्तमान में पंचायत मुख्यालय, अरवड, सरवाड, अजमेर में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत है, जो अपीलार्थी के गृह जिला नागौर से 200 किमी दूरी पर पदस्थापित है। अपीलार्थी की पत्नी थॉयरॉयड रोग से ग्रस्त है जिसका ईलाज चल रहा है उनको प्रति माह चिकित्सक से परामर्श एवं मेडीकेशन के लिए जाना होता है (अनुलग्नक–3) तथा उनकी देखरेख के लिए अपीलार्थी के अतिरिक्त अन्य कोई घर का सदस्य नहीं है और माता–पिता वृद्ध हैं। अपीलार्थी ने अपनी पत्नी का स्थानान्तरण अपने घर के नजदीक करवाने का पूर्ण प्रयास किया किन्तु ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग में अन्तर्जिला स्थानान्तरण बैन होने से उनकी पत्नी का स्थानान्तरण घर के नजदीक नहीं हो पाया है, इसलिये अपीलार्थी ने राज्य सरकार की स्थानान्तरण नीति के अनुसार

अपना स्थानान्तरण उनकी पत्नी के मुख्यालय के नजदीक रिक्त पदों पर करने का निवेदन किया, जिसके अनुसार पति–पत्नी दोनों ही राज्य सेवा में कार्यरत होने पर यथा सम्भव दोनों को एक ही जिला अथवा नजदीक स्थान पर पदस्थापन किये जाने के स्पष्ट दिशा–निर्देश हैं। किन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के स्थानान्तरण आवेदन पत्र दिनांक 05.01.2025 (अनुलग्नक–4) पर कोई संज्ञान नहीं लिया। जिसके कारण अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत कर अपना स्थानान्तरण पत्नी के पदस्थापन स्थान के मुख्यालय के नजदीक रिक्त पद पर करने हेतु प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिये जाने हेतु निवेदन किया है।

3. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपीलार्थी द्वारा अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवडा)
सदस्य